न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला–जोधपुर

क्रमांक / राजस्व / कोर्ट / 342 — दिनांक– 23.08.2022

सरकार बनाम आम जनता

आदेश

तहसीलदार ओसियां के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबंदी, नकल, नक्शा, पटवारी व भू.अ.निरीक्षक, अभिशंषा तहसीलदार ओसियां को ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया, जिसके अनुसार पटवार मण्डल खेड के ग्राम भाखरों की ढाणी तहसील ओसियां के खसरावार

खसरा संख्या	कुल रकबा हैक्टयर में	रास्ते का रकबा हैक्टयर		खसरा संख्या	कुल रकबा हैक्टयर में	रास्ते का रकबा हैक्टयर
511	2.4605	0.0900				
510	2.6385	0.0971				
512	1.2626	0.0256				
513	1.2950	0.0080				
514	0.1295	0.0201				
515	2.1529	0.0161				

उपरोक्तानुसार चल रहे रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु पेश किया, जो चालू है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ते को काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही जांच भू.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार ओसियां की अभिशंषा के अनुसार यह पाया गया कि आवेदन तथा सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार मौके पर चालू कदिमी / स्थाई रास्ता चालू है। अतः राजस्थान सरकार के राजस्व नक्शे में दर्शाये अनुसार मौके पर चालू कदिमी / स्थाई रास्ता चालू है। अतः राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप–6 के परिपत्रांक प.3(17)राज–6 / 2021 / पार्ट / 91 दिनांक 30.09.2021 में वर्णित निर्देशों अनुसार आवेदक खातेदारान की खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थाई रूप से चालू लेकिन राजस्व रेकर्ड में अंकन से शेष कदिमी रास्ते को खातेदार की खातेदारी में रखते हुए गै.मु.रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार ओसियां को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में सलंग्न नक्शे एवं परिशिष्ट ए में वर्णितानुसार करावे। तहसीलदार ओसियां इस आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(राजकीश मीणा) R.A.S.
सहायक कलक्टर ओसियां